# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ (जयपुर)

पत्र संख्या....29..../2021

**तहसीलदार चौमूँ बनाम अर्जुन वगैरह**

अन्तर्गत धारा 131,132 एल0 आर0 एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक:–10.03.2021

## निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमूँ के पत्र क्रमांक भू0अ0/2021/4589 दिनांक 08.03.2021 ने रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतू ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूँ द्वारा निम्नांकित प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्सा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अर्न्तगत धारा 131,132 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेषित किया है, रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्राथर्ना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0– भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 व 86 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजसथान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम की भूमि में से (मुताबिक एनक्सर–1 व नजरी नक्सा ट्रेस) अनुसार किस्म गै.मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

| क0स0 | नाम राजस्व ग्राम | खं.न. | कुल रकबा (हैक्ट0 में) | किस्म | रास्ते दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा (वर्गमीटर में) | वि. वि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कानरपुरा | 549/1087 | 0.10 | बारानी2 | 1000 | |
| 2. | कानरपुरा | 554/3 | 0.08 | चाही1 | 800 | |
| 3. | कानरपुरा | 571/1 | 0.02 | बारानी2 | 200 | |
| 4. | कानरपुरा | 574/5 | 0.04 | चाही1 | 400 | |
| 5. | कानरपुरा | 579/1 | 0.05 | चाही1 | 500 | |

उक्तानुसार निजी खातेदारी में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित गै0मू0 रास्ता दर्ज किया जावेगा।

निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हेतू [illegible] चौमूँ को आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.08 10:34:53 IST
Reason: SelfAttested

अभिषेक सुराणा
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner